न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका(झारखण्ड)

पी0 ए0 वाद सं0–48 / 2016–17

सुरेश हेम्ब्रम बनाम **16 आना रैयत**

मौजा–सरमुंडी, अंचल–मसलिया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
05-09-2019	यह प्रधानी नियुक्ति वाद आवेदक सुरेश हेम्ब्रम, पिता–स्व0 बाबुशर हेम्ब्रम, सा0–सरमुंडी, सर्कल–रांगा मसलिया, अंचल–मसलिया के आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक द्वारा मौजा सरमुंडी, सर्कल–रांगा मसलिया अंचल–मसलिया के प्रधान पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मसलिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई एवं मौजा सरमुंडी के 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, मसलिया से जाँच प्रतिवेदन उनके पत्रांक–335 / रा0, दिनांक–11.05.18 द्वारा प्राप्त है। 16 आना रैयतों पर निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक सुरेश हेम्ब्रम के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा के प्रधान आवेदक के पिता स्व0 बाबुशर हेम्ब्रम थे। आवेदक सुरेश हेम्ब्रम पुर्व प्रधान स्व0 बाबुशर हेम्ब्रम के एकमात्र पुत्र है। जिनकी मृत्यु दिनांक 28.06.2016 को हो गई है। अतः उन्हें प्रधान पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्ति किया जाय। अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा सरमुंडी नं0 31 सरदारी सर्किल रांगा मसलिया एक प्रधानी ग्राम है। मौजा के अंतिम प्रधान स्व0 बाबुशर हेम्ब्रम थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.06.16 को सरमुंडी ग्राम मे हो गई है। आवेदक सुरेश हेम्ब्रम भुतपुर्व प्रधान स्व0 बाबुशर हेम्ब्रम के एक मात्र पुत्र है। मौजा सरमुंडी क ग्रामीण रैयतो को कोई आपत्ति नही है। आवेदक सिमन पावरिया, पिता स्व0 बाबुशर हेम्ब्रम, मौजा सरमुंडी को मौजा सरमुंडी के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु संताल परगना कास्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 6 के तहत अनुशंसा किया गया है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3
	इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एंव अंचल अधिकारी, मसलिया के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के अंतिम प्रधान स्व0 बाबुशर हेम्ब्रम थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.06.16 को सरमुंडी ग्राम मे हो गई है। आवेदक सुरेश हेम्ब्रम भुतपुर्व प्रधान स्व0 बाबुशर हेम्ब्रम के एक मात्र पुत्र है। इस आधार पर आवेदक का दावा प्रधान पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 6 के अन्तर्गत बनता है। अतः आवेदक सुरेश हेम्ब्रम, पिता–स्व0 बाबुशर हेंम्ब्रम, सा0–सरमुंडी, सर्कल–रांगा मसलिया, अंचल–मसलिया का प्रधान पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे जमानत की राशि एवं काबुलियत पट्टा आदि शीघ्र जमा करें। लेखापित एवं संशोधित। अनु0पदा0 अनुमंडल पदाधिकारी दुमका। आदेशानुसार नव नियुक्त प्रधान की ओर से प्रतिभूति राशि जमा कर कबुलियत दाखिल किया गया है, देखा। प्रधान को पट्टा निर्गत करें। अनुमंडल पदाधिकारी दुमका	DBA/0 359 11/9/19 पट्टा पाया सुरेश हेम्ब्रम